उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार – 249404

संख्याः 448/01/डी0आर0(डिग्री)/सेवा–2/2021–22 **दिनांकः 08 नवम्बर, 2024**

अनर्ह सूची
असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास (HISTORY)

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन–2021 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास (HISTORY) विषय हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2012 (यथा संशोधित) में उल्लिखित प्राविधान के क्रम में A.P.I. स्कोर के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार संशोधित शार्टलिस्टिंग परिणाम दिनांक 29 अगस्त, 2024 में सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 13 सितम्बर, 2024 तक ऑनलाइन आवेदन में किये गए दावों के समर्थन में उपलब्ध कराये गए प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की सन्निरीक्षा के उपरान्त मा0 आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास (HISTORY) विषय के निम्नलिखित अभ्यर्थियों को तालिका के कॉलम–3 के अनुसार अनर्ह किया गया हैः–

क्र0सं0	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति
1	2	3
1.	511116	1. अभ्यर्थी द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग अनुभव एवं अवार्ड से सम्बन्धित दावा किया गया है। विषय विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन का दावा सही माना गया है, परन्तु टीचिंग अनुभव संबंधी संलग्न प्रमाण–पत्र में कार्यावधि का मूल्यांकन/विवरण में तिथियों का अंकन न होने तथा अनुभव प्रमाण पत्र पर प्राचार्य के हस्ताक्षर के स्थान पर 'निदेशक' के हस्ताक्षर होने के कारण मान्य नहीं किया गया है, तथा अभ्यर्थी द्वारा संलग्न राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र में पुरस्कार का कोई उल्लेख न होने सिर्फ समूह को प्रतिनिधित्व संबंधी प्रमाण पत्र होने के कारण उक्त अवार्ड प्रमाण–पत्र को विषय विशेषज्ञों द्वारा मान्य नहीं किया गया है, जिस कारण अभ्यर्थी के ए0पी0आई0 स्कोर में 10 अंकों की कटौती करने पर अभ्यर्थी का कुल ए0पी0आई0 स्कोर 71 के स्थान पर 61 अंक होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विषय में अनारक्षित श्रेणी का संशोधित कट–ऑफ स्कोर 71 है। अभ्यर्थी संशोधित कट–ऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करता है। 2. अभ्यर्थी द्वारा स्नातक, परास्नातक उपाधि एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र संलग्न नहीं की गई है, अभ्यर्थी से स्नातक, परास्नातक उपाधि एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र वांछित है। 3. **असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विषय में अनारक्षित श्रेणी के संशोधित कट–ऑफ स्कोर में स्थान धारित न करने तथा स्नातक, परास्नातक उपाधि एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र संलग्न न करने के कारण अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु अनर्ह घोषित किया गया है।**
2.	510426	1. अभ्यर्थी द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन एवं टीचिंग अनुभव से सम्बन्धित दावा किया गया है। विषय विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन का दावा सही माना गया है, परन्तु टीचिंग अनुभव संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न न होने के कारण टीचिंग अनुभव श्रेणी के 06 अंक मान्य नहीं किये गए हैं, जिस कारण अभ्यर्थी के ए0पी0आई0 स्कोर में 06 अंकों की कटौती करने पर कुल ए0पी0आई0 स्कोर 71 के स्थान पर 65 अंक होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विषय में अनारक्षित श्रेणी का संशोधित कट–ऑफ स्कोर 71 है। अभ्यर्थी संशोधित कट–ऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करता है। 2. अभ्यर्थी द्वारा हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट अंकतालिका, स्नातक एवं परास्नातक उपाधि, विज्ञापन में पीएच0डी0 हेतु उल्लिखित परिशिष्ट–03, अंशकालिक प्रवक्ता हेतु परिशिष्ट–05 व टीचिंग अनुभव हेतु परिशिष्ट–06 प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। 3. अभ्यर्थी से हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट अंकतालिका, स्नातक एवं परास्नातक उपाधि,

		विज्ञापन में उल्लिखित परिशिष्ट–03, परिशिष्ट–05 व परिशिष्ट–06 प्रमाण पत्र वांछित है। 4. **असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विषय में अनारक्षित श्रेणी के संशोधित कट–ऑफ स्कोर में स्थान धारित न करने एवं हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट अंकतालिका, स्नातक एवं परास्नातक उपाधि, विज्ञापन में पीएच0डी0 हेतु उल्लिखित परिशिष्ट–03 व टीचिंग अनुभव हेतु परिशिष्ट–06 प्रमाण पत्र संलग्न न करने के कारण अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु अनर्ह घोषित किया गया है।**
3.	510423	1. अभ्यर्थी द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन एवं टीचिंग अनुभव से सम्बन्धित दावा किया गया है। विषय विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन का दावा सही माना गया है, परन्तु टीचिंग अनुभव संबंधी प्रमाण–पत्र प्राचार्य द्वारा निर्गत न होने बल्कि निदेशक द्वारा निर्गत होने के कारण टीचिंग अनुभव श्रेणी के 08 अंक विषय विशेषज्ञों द्वारा मान्य नहीं किये गए हैं, जिस कारण अभ्यर्थी के ए0पी0आई0 स्कोर में 08 अंकों की कटौती करने पर कुल ए0पी0आई0 स्कोर 71 के स्थान पर 63 अंक होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विषय में अनारक्षित श्रेणी का संशोधित कट–ऑफ स्कोर 71 है। अभ्यर्थी संशोधित कट–ऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करता है। 2. **असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विषय में अनारक्षित श्रेणी के संशोधित कट–ऑफ स्कोर में स्थान धारित न करने के कारण अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु अनर्ह घोषित किया गया है।**
4.	511328	1. अभ्यर्थी द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन एवं टीचिंग अनुभव से सम्बन्धित दावा किया गया है। विषय विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन का दावा सही माना गया है, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा संलग्न अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र में विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर हैं, जबकि हस्ताक्षर प्राचार्य के होने चाहिए के कारण विषय विशेषज्ञों द्वारा अमान्य किया गया है, विषय विशेषज्ञों द्वारा मान्य अध्यापन अनुभव में 08 अंक के स्थान पर 6.37 अंक अनुमन्य किये गए हैं। जिस कारण अभ्यर्थी का कुल ए0पी0आई0 स्कोर 71 के स्थान पर 69.37 होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विषय में अनारक्षित श्रेणी का संशोधित कट–ऑफ स्कोर 71 है। अभ्यर्थी संशोधित कट–ऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करता है। **2.** अभ्यर्थी द्वारा ए0पी0आई0 तालिका में स्नातक के 60 प्रतिशत अंकों का दावा करते हुए 19 अंकों का दावा किया गया है, जबकि अभ्यर्थी की स्नातक अंतिम वर्ष की अंकतालिका के अनुसार प्राप्तांक 1017 व पूर्णांक 1800 है अतः कुल प्रतिशत अंक 56. 50 है जिसके आधार पर **अभ्यर्थी को 16 अंक अनुमन्य किये गये हैं। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल ए0पी0आई0 स्कोर में 03 अंक कम करने पर कुल ए0पी0आई0 स्कोर 69.37 के स्थान पर 66.37 अंक होगा।** 3. **असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विषय में अनारक्षित श्रेणी के संशोधित कट–ऑफ स्कोर में स्थान धारित न करने के कारण अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु अनर्ह घोषित किया गया है।**

अभ्यर्थी उपरोक्त अनर्ह सूची के संबंध में यदि कोई आपत्ति व्यक्त करना चाहते हैं, तो इस संबंध में आपत्तियों से संबंधित अभिलेखों/साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन **सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार– 249404** के कार्यालय को **दिनांक 25.11.2024 (सोमवार) के सांय 06:00 बजे तक** व्यक्तिगत रूप से (कार्यालय दिवस सोमवार से शुक्रवार) अथवा डाक/अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

-SD-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव